CNR No-UPJL010004922025
JO Code-UP1523

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(दस्यु0प्रभा0क्षे0) जालौन स्थान उरई।

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं0–11/2025

शीकेन्द्र, पुत्र प्रेमचन्द्र निवासी ग्राम अतरछला, थाना कुठौंद जिला जालौन। ....आवेदक

बनाम

1. संजय, पुत्र परशुराम दोहरे,
2. नीरेन्द्र, पुत्र संजय,
3. मनीष, पुत्र संजय,
4. सुशील, पुत्र वीरेन्द्र,
5. मुन्ना कुशवाहा, पुत्र मनी निवासीगण ग्राम अतरछला, थाना कुठौंद, जिला जालौन।
6. तीन–चार अज्ञात व्यक्ति नाम पता नामालूम। ....विपक्षीगण

दिनांक 12.02.2025

पत्रावली पेश हुई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 पर सुना गया। पत्रावली का परिशीलन किया।

आवेदक शीकेन्द्र द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 में यह कथन किया गया कि प्रार्थी के गांव के प्रार्थी के गांव के संजय, मुन्ना व उनके परिवारीजन आपराधिक किस्म के व्यक्ति है, जो गांव में गुण्डागर्दी करके लोगों से चोरी से पेड़ कटवाकर अवैध रूपये पैदा करते है, विरोध व शिकायत करने पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर समाज में भय व आतंक व्याप्त करते है, जिससे इनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति शिकायत अथवा मुकदमा दर्ज नहीं करवाता है और न ही कोई गवाही देने को तैयार होता है, जिसके कारण इन लोगों के हौसले अत्यधिक बुलंद है और इन लोगों को शक है कि प्रार्थी द्वारा शिकायत की गयी है, जिससे यह लोग प्रार्थी से रंजिश मानने लगे है। इसी रंजिश के कारण दिनांक 18.01.2025 को सुबह 7 बजे करीब प्रार्थी उक्त मुन्ना कुशवाहा के दरवाजे से होकर जा रहा था कि उसी समय संजय, नीरेन्द्र, मनीष, सुशील, मुन्ना कुशवाहा व तीन चार अज्ञात लोगों ने प्रार्थी को एकराय होकर घेर लिया और मां बहिन की गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर प्रार्थी पर लाठी डण्डा से मारपीट की और प्राणघातक हमला किया और संजय ने चाकू से प्रार्थी के गले पर हमला करते हुये प्रार्थी की जेब में रखे 2200/– रू0 तथा गले में पड़ी सोने की जंजीर जबरन लूट लिये। मौके पर गांव के विवेक सिंह, पुत्र अजय पाल सिंह, रूद्रप्रताप सिंह, पुत्र सोबरन सिंह आदि लोग आ गये और बीच बचाव किया तथा अभियुक्तगणों को ललकारा तो मुन्ना ने अपने हाथ मे लिये तमंचे से हवाई फायर करते हुये दहशत फैला दी और प्रार्थी को मौके पर मरणासन्न हालत में छोड़कर भाग गये। मौके पर मौजूद लोग प्रार्थी को गम्भीर हालत में लेकर अस्पताल ले गये, जहां से उसे झांसी रेफर कर दिया गया, कुछ स्वस्थ्य होने के बाद प्रार्थी घटना की रिपोर्ट करने थाना कुठौंद गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने हेतु प्रभारी निरीक्षक, कुठौन्द को निर्देशित करने की कृपा करें।

अभिलेखीय साक्ष्य में पुलिस अधीक्षक, जालौन स्थान उरई को प्रेषित प्रार्थनापत्र की छायाप्रति, मूल रजिस्ट्री रसीद, जिला चिकित्सालय, उरई का डाक्टरी पर्चे की छायाप्रति मेडिकल

Digitally signed by AVANISH KUMAR
Date: 2025.02.12 16:57:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कालेज, झांसी का डाक्टरी पर्चा एवं चोट प्रपत्र व आवेदक के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की गई हैं।

प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में थाना कुठौन्द, जिला जालौन द्वारा प्रेषित आख्या के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थनापत्र, शपथपत्र तथा प्रस्तुत प्रलेखों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थनापत्र में विपक्षीगण संजय, नीरेन्द्र, मनीष, सुशील, मुन्ना कुशवाहा द्वारा एकराय होकर प्रार्थी के साथ लाठी डण्डों से मारपीट करने, गाली गलौज करने, हवाई फायर करने तथा 2200/–रूपये जबरन लूट लिये जाने एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने का कथन किया गया है। प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के बावत् सम्बन्धित थाने से नियमानुसार विवेचना कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी शीकेन्द्र द्वारा प्रदत्त प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 को, धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वीकार किया जाता है। प्रभारी निरीक्षक, कुठौन्द को आदेशित किया जाता है कि प्रस्तुत मामले में सुसंगत धाराओं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करके नियमानुसार विवेचना किया जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चत करें।

दिनांक–12.02.2025

(डॉ0 अवनीश कुमार–।।)
विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0)
जालौन स्थान उरई।